बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन के संबंध में

राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रु० 50,000/– (पचास हजार रुपये) मात्र दिये जाने हेतु पोर्टल:–**https://medhasoft.bihar.gov.in/SNATAK/pms/MainDefault.aspx** पर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 05.09.2025 तक निर्धारित है। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्त्त पूर्ण करती है :–

(1). बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो।

(2). राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / तकनीकी संस्थानों से स्नातक / स्नातक समकक्ष उत्तीर्णता की तिथि 01.04.2021 से 31.12.2024 के बीच हो।

(3). लाभुक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक के किसी शाखा में होना चाहिए।

(4). पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाता से सीडेड (DBT के लिए) नहीं है, वो बैंक से तुरंत सम्पर्क करें। आधार सिडींग और खाता से आधार लिंक अलग–अलग चीजे है। जिनका भी बैंक खाता आधार के साथ सीडेड नहीं होगा, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा।

(5). यदि पात्र लाभुक दिनांक 05.09.2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते है, तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा दिनांक 05.09.2025 के पश्चात् उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा।

(6). योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाईट Educationbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मो0 न0 9534547098, 8986294256 एवं ई–मेल mkuysnatakhelp@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक, उच्च शिक्षा
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

PR. No. 012291 (Education) 2025-26

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें